न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 18 / 2023

श्रीमती सम्पत बाई पत्नी स्व0 श्री भगवानदास, उम्र करीबर 80 वर्ष, जाति नायक, निवासी 1253, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अजयनगर, अजमेर (राज0)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कमल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास, उम्र करीबन 40 वर्ष, जाति नायक, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अजयनगर, अजमेर (राज0)
2. श्री त्रिलोक पुत्र स्व0 श्री भगवानदास, उम्र करीबन 38 वर्ष, जाति नायक, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अजयनगर, अजमेर
3. श्री सुरेश पुत्र स्व0 भगवानदास, उम्र करीबन 36 वर्ष, जाति नायक, निवासी 1253 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अजयनगर, अजमेर (राज0)
4. श्री बबलू पुत्र स्व0 श्री भगवानदास, उम्र करीबन 34 वर्ष जाति नायक, निवासी 1253 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अजयनगर, अजमेर (राज)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 05.05.2023 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 13.09.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ अधिकरण पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी अजमेर) के आदेश दिनांक 05.05.2023, जिसमें "प्रार्थीगण (अपीलान्ट), अप्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) हैं। प्रार्थिया विधवा महिला है। प्रार्थिया एवं उसके स्वर्गवासी पति की स्वयं अर्जित आय से खरीदे एवं निर्मित किए गये मकान जो कि प्रार्थीया के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति है जिसके एक बडे भाग पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर रखा है का तुरन्त खाली एवं रिक्त कब्जा प्रार्थीया को सुपुर्द करे। प्रार्थिया की सम्पत्ति से अप्रार्थी को बाहर नहीं निकालने जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर प्रार्थीया/अपीलार्थी विधवा महिला है जिसकी उम्र 80 वर्ष है तथा उसके पति श्री भगवान दास जी का निधन हो चुका है, अपीलार्थी एवं उसके पति द्वारा अपनी स्वयं की आय से 1253, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अजयनगर, अजमेर (राज) स्थित मकान के भूतल पर दो कमरे, एक हॉल व लैट बाथ व प्रथम तल पर दो कमरे, व लैट बाथ का निर्माण करवाया था, प्रार्थीया के कुल 05 सन्तान जिसमें से एक पुत्री मंजू का विवाह हो चुका है

जिला कलक्टर
अजमेर

तथा शेष चारो सन्ताने रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 04 जो कि सभी शादीशुदा है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02 प्रार्थीया से अलग निवास करते है तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 03 व 04 अपने परिवार सहित प्रार्थीया के साथ उक्त वर्णित निवास स्थान पर ही निवास करते है। अपीलार्थीया के पति भगवान दास जी का निधन हो चुका है तथा अपीलार्थीया वर्तमान में इस परिवार की मुखिया है तथा अपीलार्थीया की आयु 80 वर्ष होने के कारण अपीलार्थीया वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है। अपीलार्थीया के प्रति रेस्पोडेन्ट्स (पुत्रों एवं पुत्रवधुओ) का व्यवहार अच्छा नहीं रहा है तथा वह नियमित रूप से अपीलार्थीया को हैरान परेशान कर प्रताडित करते रहते है। अपीलार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट करते रहते है, तथा अपीलार्थीया की सम्पत्ति के बंटवारे का दबाव बनाते है, अपीलार्थीया के चारो पुत्र जो कि शराब पीने के आदि है, शराब पीकर अपीलार्थीया के साथ गाली गलौच करते है व मारपीट तक करते है तथा अपीलार्थीया को घर से बेदखल करने की धमकिया तक देते है। अपीलार्थीया रेस्पोडेन्ट्स की उक्त हरकतों के कारण अत्यधिक प्रताडित व परेशान होने के पश्चात अपीलार्थीया द्वारा एक प्रकरण माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमे माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2023 को निस्तारित करते हुए अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज कर निरस्त कर दिया। अपीलार्थीया उक्त आदेश/निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत करती है। अपीलार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21, 22, 23 व 24 माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम में अपीलार्थीया एवं उसके पति की स्वअर्जित आय से क्रय कर निर्मित किए गए मकान का खाली एवं रिक्त कब्जा सुपुर्द करने का अनुतोष माननीय अधीनस्थ न्यायालय से मांगा गया था परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 40/2022 पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, अजमेर) भरण पोषण अधिकरण के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया जिस पर सुनवाई करते हुए भरण पोषण अधिकरण द्वारा दिनांक 14.12.2022 को आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थीया के चारो पुत्रों (रेस्पोडेन्ट्स) को प्रार्थीया को प्रत्येक माह 2000/– रूपये प्रत्यके पुत्र को अदा करने के निर्देश प्रदान किए, तथा साथ ही अपीलार्थीया को हैरान परेशान कर प्रताड़ित नहीं करने हेतु भी पाबन्द किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2022 के आदेश का हवाला देते हुए अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त कर खारिज कर दिया जबकि उक्त आदेश दिनांक 14.12.2022 में मात्र भरण पोषण राशि का हवाला दिया गया है जो भरण पोषण राशि भी आज दिवस तक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलार्थीया को अदा एवं भुगतान नही की गई है, अपीलार्थीया की सम्पत्ति का खाली एवं रिक्त कब्जा सुपुर्द करने के सन्दर्भ में माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन ही नही किया गया है, इस कारण भी आदेश दिनांक 05.05.2023 निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 05.05.2022 अपास्त किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश न्यायहित में पारित करे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 व 4 ने जवाब प्रस्तुत कर अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि प्रार्थीया ने जो सम्पत्ति अंकित की है, वह स्वयं उत्तरकर्ता अप्रार्थीगण के पिता जी ने खरीद की थी जो स्नेहवश अपनी पत्नी अर्थात अप्रार्थीगण की माता के नाम पंजीयन करवायी। जिस पर अप्रार्थीगण ने अपनी स्वअर्जित आय से निर्माण कार्य करवाया है तथा अपने पिता की सम्पत्ति में निवास कर रहे है । अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीया के साथ किसी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया गया। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीया के साथ गाली गलौच मारपीट नही

जिला कलक्टर
अजमेर

की अपितु प्रार्थीया की हर प्रकार से सेवा सुश्रुषा कर देखभाल की। प्रार्थीया ने मनगढंत तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से शराब का सेवन नहीं किया गया ना ही कभी प्रार्थीया पर सम्पत्ति के बंटवारे का दबाव बनाया गया ना ही प्रार्थीया के साथ गाली-गलौच की जाकर मारपीट की गयी ना ही प्रार्थीया को कभी बेदखल करने की धमकी दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.05.2023 विधिवत न्यायिक रूप से प्रतिपादित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 1936/2022 विनोद शर्मा बनाम श्रीमति शान्ति देवी व अन्य एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के अपील नं0 367–368/2020 समता नायडू व अन्य बनाम राज्य मध्य प्रदेश व अन्य निर्णय दिनांक 02.03.2020 प्रस्तुत कर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। उभय पक्ष द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों एवं प्रकट तथ्यों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। अपीलांट/प्रार्थीया के द्वारा एक प्रार्थना पत्र कमल कुमार व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत, माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें निर्णय दिनांक 14.12.2022 पारित किया जा चुका है। पुनः अपीलांट/प्रार्थीया के द्वारा एक और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21, 22, 23 व 24 माता–पिता तथा वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण हेतु अधिकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर में दिनांक 02.02.2023 को प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। अपील के साथ सलंग्न दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त आदेश दिनांक 05.05.2023 पारित किया गया है, जो कि विधि संम्वत् एवं न्यायोचित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 05.05.2023 में हाजा न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझती है। अतः अपील अपीलांन्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2023 यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अतः अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर